

**STATEMENT REFERRED IN REPLY TO PARTS (a) TO (d) OF LOK SABHA
STARRED QUESTION NO.*333 FOR 22.12.2015 REGARDING STOCK LIMIT FOR
ESSENTIAL COMMODITIES.**

(a) : At present States have been enabled to imposed stock limits on Onions, Edible Oilseeds, Edible oils and Pulses. The powers of Central Government under section 3 of the Essential Commodities Act 1955, have been delegated to the States/UTs vide notification dated 9.6.1978(**Annexure-I**). The States are fully empowered to impose stock limits on any of these commodities within the confine of the notification dated 9.6.1978.

(b) : Vide Notification No. 2857 (E) dated 18.10.2015 (**Annexure-II**) Central Government has withdrawn all exemptions from Stock Limits on pulses granted vide Notification No. 2642 (E) dated 28.09.2015 (**Annexure-III**), enabling the States to impose stock limits for the stock kept by licensed food processors, importers, exports, retailers etc. also.

(c) & (d): Does not arise.

STATEMENT REFERRED IN REPLY TO PART (a) OF LOK SABHA STARRED QUESTION NO.*333 FOR 22.12.2015 REGARDING STOCK LIMIT FOR ESSENTIAL COMMODITIES.

Annexure - I

भाग II—खण्ड 3(1)}

भारत का राजपत्र : जून 17, 1978/खण्ड 27, 1900

143*

(खाद्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 9 जून, 1978

(3) that in making an order relating to any of the matters specified in the said clause (j) the State Government shall authorise only an officer of Government.

[No. 3(GENL)(I)/78-D&R(I)-59]
K. BALAKRISHNAN, Dy. Secy.

सं. सं. वि. 800.—आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के भूतपूर्व कृषि मंत्रालय (खाद्य विभाग) के आदेश सं. सं. सं. 316(अ) तारीख 20 जून, 1972 के अधिकांत क्रम में हुए केन्द्रीय सरकार, निदेश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा, उसकी उपधारा (2) के खण्ड (क), (ख), (ग), (घ), (ङ), (च), (ज), (झ), (झ) और (ड) में विनिर्दिष्ट विषयों का उपबंध करने के लिए आदेश करने की यह प्रदत्त शक्तियाँ, खाद्य वस्तुओं के सम्बन्ध में, किसी राज्य सरकार द्वारा भी, निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, प्रयोगतन्त्र होगी—

- (1) ऐसी शक्तियों का प्रयोग राज्य सरकार द्वारा ऐसे निर्देशों के बिना नहीं हो, अधीन रहते हुए किया जाएगा जो केन्द्रीय सरकार इस निमित्त जारी करे ;
- (2) उक्त खण्ड (क), (ग) या (घ) में विनिर्दिष्ट किसी विषय के सम्बन्ध में या खाद्य वस्तुओं के, राज्य से बाहर के स्थानों को वितरण या व्यवहारे के संबंध में, या उक्त खण्ड (घ) के अधीन किसी खाद्य वस्तु के परिवहन के विनियमन के संबंध में, आदेश करने से पूर्व राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार की पूर्ण सहमति भी प्राप्त करेगी ।
- (3) उक्त खण्ड (ड) में विनिर्दिष्ट किसी विषय के बारे में आदेश करने में राज्य सरकार, सरकार के किसी अधिकारी को ही प्राधिकृत करेगी ।

[सं. 3 (साधारण)(1)/78-डी एण्ड आर (1)-50]

क. बालाकृष्णन, उप सचिव,

(Department of Food)

ORDER

New Delhi, the 9th June, 1978

G.S.R. 800.—In exercise of the powers conferred by section 5 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), and in supersession of the Order of the Government of India in the late Ministry of Agriculture (Department of Food) No. GSR 316(E), dated the 20th June, 1972, the Central Government hereby directs that the powers conferred on it by sub-section (1) of section 3 of the said Act to make orders to provide for the matters specified in clauses (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h) (i), (ii) and (j) of sub-section (2) thereof shall, in relation to foodstuffs be exercisable also by a State Government subject to the conditions—

- (1) that such powers shall be exercised by a State Government subject to such directions, if any, as may be issued by the Central Government in this behalf;
- (2) that before making an order relating to any matter specified in the said clauses (a), (c) or (f) or in regard to distribution or disposal of foodstuffs to places outside the State or in regard to regulation of transport of any foodstuff, under the said clause (d), the State Government shall also obtain the prior concurrence of the Central Government; and

STATEMENT REFERRED IN REPLY TO PART (b) OF LOK SABHA STARRED QUESTION NO.*333 FOR 22.12.2015 REGARDING STOCK LIMIT FOR ESSENTIAL COMMODITIES.

क्रि.सं. सं० डी० एल० 33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

Annexure - II

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2275]
No. 2275]

नई दिल्ली, रविवार, अक्टूबर 18, 2015/आश्विन 26, 1937
NEW DELHI, SUNDAY, OCTOBER 18, 2015/ASVINA 26, 1937

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 18 अक्टूबर, 2015

का.आ.2857(अ).- केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों से (अनुज्ञापन संबंधी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन) हटाना आदेश, 2002 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:-

- (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों से (अनुज्ञापन संबंधी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन) हटाना (संशोधन) आदेश, 2015 है।
- (2) यह उसके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।
- विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों से (अनुज्ञापन संबंधी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन) हटाना आदेश, 2002 में, खण्ड 7 में "दाल" शब्द, जहां कहीं वह आता है, का लोप किया जाएगा;
- विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों से (अनुज्ञापन संबंधी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन) हटाना आदेश, 2002 में, "दाल" नामक वस्तु के संबंध में क्रय, आयात, संचलन, विक्रय, आपूर्ति, वितरण या क्रय के लिए भंडारण, शब्दों और पदों को 30 सितम्बर, 2016 तक की अवधि के लिए प्रास्थगन में रखा जाएगा।

[फा.सं. एस-10/3/2015-ईसीआरएंडई]

जी.गुरुचरण, विशेष सचिव

टिप्पणी : मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. संख्यांक 104(अ), तारीख 15 फरवरी, 2002 द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात् सा.का.नि. सं. 490(अ), तारीख 16 जून, 2003, का.आ. 1373(अ), तारीख 29 अगस्त, 2006; का.आ. 297(अ), तारीख 27 फरवरी, 2007; का.आ. 1488(अ), तारीख 31

अगस्त, 2007; का.आ. 400(अ), तारीख 28 फरवरी, 2008; का.आ. 823(अ), तारीख 7 अप्रैल, 2008; का.आ. 2117(अ), तारीख 27 अगस्त, 2008; का.आ. 2118(अ), तारीख 27 अगस्त, 2008; का.आ. 2247(अ), तारीख 22 सितम्बर, 2008; का.आ. 2248(अ), तारीख 22 सितम्बर, 2008; का.आ. 2249(अ), तारीख 22 सितम्बर, 2008; का.आ. 649(अ), तारीख 9 मार्च, 2009; का.आ. 880(अ), तारीख 30 मार्च, 2009; का.आ. 905(अ), तारीख 2 अप्रैल, 2009; का.आ. 906(अ), 2 अप्रैल 2009, का.आ. 1621(अ), तारीख 2 जुलाई, 2009; का.आ. 2461(अ), तारीख 25 सितम्बर, 2009; का.आ. 3249(अ), तारीख 18 दिसम्बर, 2009; का.आ. 2361(अ), तारीख 29 सितम्बर, 2010; का.आ. 3060(अ), तारीख 30 दिसम्बर, 2010; का.आ. 2447(अ), तारीख 28 अक्टूबर, 2011; का.आ. 2716(अ), तारीख 29 नवम्बर, 2011; का.आ. 2320(अ), तारीख 27 सितम्बर, 2012; का.आ. 2927(अ), तारीख 27 सितम्बर, 2013; का.आ. 3543(अ), तारीख 29 नवम्बर, 2013; का.आ. 77(अ), तारीख 9 जनवरी, 2014; का.आ. 1685(अ), तारीख 3 जुलाई, 2014; का.आ. 2559(अ), तारीख 30 सितम्बर, 2014; का.आ. 1797(अ), तारीख 2 जुलाई, 2015; और का.आ. 2642 (अ), तारीख 28 सितम्बर, 2015 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

ORDER

New Delhi, the 18th October, 2015

S.O. 2857(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Removal of (Licensing requirements, Stock limits and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs Order, 2002, namely:—

1. (1) This Order may be called the Removal of (Licensing requirements, Stock limits and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs (Amendment) Order, 2015.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Removal of (Licensing requirements, Stock limits and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs Order, 2002, in clause 7, the word "pulses", wherever it occurs, shall be omitted.

3. The words and expressions used in respect of purchase, import, movement, sale, supply, distribution or storage for sale in the Removal of (Licensing requirements, Stock limits and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs Order, 2002 shall be kept in abeyance for commodity, namely, pulses for a period upto 30th September, 2016.

[F. No.S-10/3/2015-ECR&E]

G. GURUCHARAN, Special Secy.

Note: The principal order was published in the Gazette of India, Extraordinary Part II, Section 3, Sub-section (i), vide G.S.R. 104(E), dated the 15th February, 2002, subsequently amended by numbers G.S.R. 490(E), dated the 16th June 2003, S.O. 1373(E) dated the 29th August, 2006, S.O. 297(E) dated 27th February, 2007, and S.O. 1448(E) dated the 31st August, 2007, S.O. 400(E) dated the 28th February, 2008, S.O. 823(E), dated 7th April, 2008, S.O. 2117(E) dated the 27th August, 2008, S.O. 2118(E), Dated the 27th August, 2008, S.O. 2247(E) dated the 22nd September, 2008, S.O. 2248(E) dated the 22nd September, 2008, S.O. 2249(E) dated the 22nd September, 2008, S.O. 649(E), dated the 9th March, 2009, S.O. 880 (E) dated the 30th March, 2009, S.O. 905(E) dated the 2nd April 2009, S.O. 906(E) the 2nd April 2009, S.O. 1621(E) the 2nd July 2009, S.O. 2461(E) dated the 25th September, 2009, S.O. 3249(E) dated the 18th December, 2009, S.O. 2361(E) Dated the 29th September, 2010, S.O. 3060(E), dated the 30th December, 2010, S.O. 2447(E), dated the 28th October, 2011, S.O. 2716(E), dated the 29th November, 2011, S.O. 2320(E), dated the 27th September, 2012, and S.O. 2927 (E) dated the 27th September, 2013, S.O. 3543(E), dated the 29th November, 2013, S.O. 77(E), Dated the 9th January, 2014, S.O. 1685(E), dated the 3rd July, 2014, S.O. 2559(E), Dated the 30th September, 2014, S.O. 1797(E), dated the 2nd July, 2015 and S.O. 2642(E), dated the 28th September, 2015.

STATEMENT REFERRED IN REPLY TO PART (b) OF LOK SABHA STARRED QUESTION NO.*333 FOR 22.12.2015 REGARDING STOCK LIMIT FOR ESSENTIAL COMMODITIES.

Annexure - III

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2092] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 28, 2015/आश्विन 6, 1937
No. 2092] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 28, 2015/ASVINA 6, 1937

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(उपभोक्ता मामले विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 2015

का.आ. 2642(अ).—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों से (अनुज्ञापन संबंधी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन) हटाना आदेश, 2002 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:-

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों से (अनुज्ञापन संबंधी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन) हटाना (दूसरा संशोधन) आदेश, 2015 है।

(2) यह, 1 अक्टूबर, 2015 से प्रवृत्त होगा।

2. विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों से (अनुज्ञापन संबंधी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन) हटाना आदेश, 2002 के खण्ड 7 के उप-खंड (1), मद संख्या (i) में निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(i) दालों, खाद्य तेलों और खाद्य तिलहनों के संबंध में 30 सितम्बर, 2016 तक की अवधि के लिए :

परन्तु इस खंड की कोई भी बात निम्नलिखित पर लागू नहीं होगी :-

- (क) विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा जारी आयातक-निर्यातक कोड धारक निर्यातकों के दालों, खाद्य तिलहनों, खाद्य तेलों के निर्यात के लिए तात्पर्यित स्टॉक को, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन स्टॉक धारण सीमाओं के कार्यक्षेत्र पर;
- (ख) अनुज्ञापिधारक खाद्य प्रसंस्करणकर्ताओं द्वारा खाद्य उत्पादों के विनिर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में रखे गए आवश्यक वस्तुओं के स्टॉक को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन स्टॉक धारण सीमाओं के कार्यक्षेत्र पर ;
- (ग) खुदरा व्यापारियों (मल्टीपल आउटलेट) और बड़े डिपार्टमेंटल खुदरा व्यापारियों को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन स्टॉक धारण सीमाओं पर।”

[फा.सं. 10/3/2015-ईसीआरएंडई]

जी.गुरुचरण, विशेष सचिव

टिप्पणी : मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में सा.का.नि. संख्यांक 104(अ), तारीख 15 फरवरी, 2002 द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात् सा.का.नि. सं. 490(अ), तारीख 16 जून, 2003; का.आ. 1373(अ), तारीख 29 अगस्त, 2006; का.आ. 297(अ), तारीख 27 फरवरी, 2007; का.आ. 1488(अ), तारीख 31 अगस्त, 2007; का.आ. 400(अ), तारीख 28 फरवरी, 2008; का.आ. 823(अ), तारीख 7 अप्रैल, 2008; का.आ. 2117(अ), तारीख 27 अगस्त, 2008; का.आ. 2118(अ), तारीख 27 अगस्त, 2008; का.आ. 2247(अ), तारीख 22 सितम्बर, 2008; का.आ. 2248(अ), तारीख 22 सितम्बर, 2008; का.आ. 2249(अ), तारीख 22 सितम्बर, 2008; का.आ. 649(अ), तारीख 9 मार्च, 2009; का.आ. 880(अ), तारीख 30 मार्च, 2009; का.आ. 905(अ), तारीख 2 अप्रैल, 2009; का.आ. 906(अ), तारीख 2 अप्रैल, 2009; का.आ. 1621(अ), तारीख 2 जुलाई, 2009; का.आ. 2461(अ), तारीख 25 सितम्बर, 2009; का.आ. 3249(अ), तारीख 18 दिसम्बर, 2009; का.आ. 2361(अ), तारीख 29 सितम्बर, 2010; का.आ. 3060(अ), तारीख 30 दिसम्बर, 2010; का.आ. 654(अ), तारीख 30 मार्च, 2011; का.आ. 2227(अ), तारीख 27 सितम्बर, 2011; का.आ. 2447(अ), तारीख 28 अक्टूबर, 2011; का.आ. 2716(अ), तारीख 29 नवम्बर, 2011; का.आ. 2320(अ), तारीख 27 सितम्बर, 2012; का.आ. 2968(अ), तारीख 20 दिसम्बर, 2012; और का.आ. 2927(अ), तारीख 27 सितम्बर, 2013; का.आ. 3543(अ), तारीख 29 नवम्बर, 2013; का.आ. 77(अ), तारीख 9 जनवरी, 2014; का.आ. 1685(अ), तारीख 3 जुलाई, 2014; का.आ. 2559(अ), तारीख 30 सितम्बर, 2014; और का.आ. 1797(अ), तारीख 2 जुलाई, 2015; द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

ORDER

New Delhi, the 28th September, 2015

S.O. 2642(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Removal of (Licensing Requirements, Stock Limits and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs Order, 2002, namely :—

1. (1) This Order may be called the Removal of (Licensing Requirements, Stock Limits and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs (Second Amendment) Order, 2015.

(2) It shall come into force with effect from the 1st day of October, 2015.

2. In the Removal of (Licensing Requirements, Stock Limits and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs Order, 2002, in clause 7, in sub-clause (1), for item (i), the following shall be substituted, namely:—

“ (i) pulses, edible oils and edible oilseeds for a period up to the 30th September, 2016:

Provided that nothing contained in this item shall apply to-

- exporters having Import Export Code issued by the Directorate General of Foreign Trade from the purview of stock holding limits under the Essential Commodities Act, 1955 with respect to Pulses, edible oilseeds, edible oils for the stock meant for export;
- stock essential commodities meant to be used as raw materials by licensed food processed food processors for manufacture of food products, from the purview of stock holding limits under the Essential Commodities Act, 1955;
- Retailers (Multiple Outlets) and Large Departmental Retailers from stock holding limits under the Essential Commodities Act, 1955.”

[F. No. 10/3/2015-ECR&E]

G. GURUCHARAN, Spl. Secy.

